Real
HANDLE WITH CARE

Real
RF
REAL FOIL
C.S. FOIL HOUSE
Real
Wrap
REAL ALUMINIUM FOIL
REAL CHAPATI WRAP
REAL 9 MTR
REAL 72 MTR
REAL KG NET FOIL
BURGER & ROTI WRAP
REAL CLING FILM
C.S. FOIL HOUSE
Real
C.S. FOIL HOUSE

0086
PoPo Press
0026
START
STOP
SLOW
4 LITRES

100%
SATISFACTION
GURANTEED
Smart People
Smart Choice
Product : Aluminium Foil
Weight : 1000 gm. Appx.
Width : 295 mm
Thickness : 18 micron
M.R.P. : 710.00
Mfg. & Mktd. By : T. F. Products (INDIA)
Keep away Kitchen Fresh Foil from electric sources.

पंजाब केसरी
SAT,07 DECEMBER 2024
EDITION: JALANDHAR KESARI, PAGE NO. 1

एल्यूमीनियम फॉयल के निर्माण व बिक्री संबंधी सी.एस. फॉयल हाऊस पर भारतीय मानक ब्यूरो की दबिश, सामान जब्त

जालंधर, 6 दिसम्बर (पुनीत): बी.आई.एस. (भारतीय मानक ब्यूरो) की जे.के.बी.ओ. शाखा द्वारा नियमों की उल्लघना के मामले में सी.एस. फॉयल हाऊस, बस्ती शेख में दबिश देकर विभागीय कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं, पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में सामान इत्यादि भी जब्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सी.एस. फॉयल हाऊस में बी.आई.एस. प्रमाणन चिन्ह के बिना खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम मिश्र फॉयल (धातु पन्नी) का निर्माण और बिक्री की जा रही थी, जोकि भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन है।

टीम द्वारा शुरूआती कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जबकि अगली कार्रवाई जारी है। इस दौरान हुई तलाशी में एल्यूमीनियम फॉयल (पन्नी) को टीम द्वारा जब्त करते हुए कब्जे में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बी.आई.एस. अधिनियम 2016 के नियमों की पालना को यकीनी बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

बी.आई.एस. की टीम जांच करते हुए।

इन नियमों का उल्लघन करने वाले को 2 लाख रुपए तक जुर्माना व सजा का प्रबधान है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कई बार देखा गया है कि दुकानदार भारी लाभ कमाने के लिए बिना वैध आई.एस.आई. मार्क के ऑटोमोबाइल व्हील रिम्स, एल्यूमीनियम फॉयल, 3 चरण इंडक्शन मोटर्स जैसे उत्पाद बेचते हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न क्यू.सी.ओ. के अनुसार 650 से अधिक उत्पाद वैध बी.आई.एस. मानक चिह्न के बिना इसका निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री आदि नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बी.आई.एस. की वैबसाइट पर जाकर या बी.आई.एस. केयर एप्प के माध्यम से मार्क संबंधी जानकारी ले लेनी चाहिए।

वहीं यदि कोई नियमों का उल्लघन करता है तो उसकी जानकारी विभाग की वैबसाइट पर दें ताकि उचित कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। वहीं, इस संबंध में दूसरे पक्ष से संपर्क नहीं हो सका।

BIS raids CS Foil House Jalandhar

HIMALAYAN MAIL NEWS
JAMMU, DEC 06

Team of officers from Jammu & Kashmir Branch office of Bureau of Indian Standards carried out Search and Seizure in the Premises of M/S C.S Foil House, Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab on 06 December 2024. During the search, it was observed thatthe unit was engaged in Manufacture and sale of Aluminum Alloy Bare Foil for Food Packaging without BIS Certification Mark, which is a violation of Quality Control order issued by Govt of India.During the search & seizure operation Finished aluminum foil was seized by team.

Action is being initiated by BIS Jammu & Kashmir Branch Office against the offenders under BIS Act, 2016. The action is punishable with imprisonment up to 2 years or a fine not less than Rs.2 Lakh.

At Many times it has been observed that shop keepers sell products such as Automobile Wheel Rims, Aluminum foil, 3 phase Induction Motors without a valid ISI Mark to consumers for huge profit .As per different QCOs issued by Govt of India, more than 650 products cannot be manufactured, imported, distributed, sold,or exhibited for sale without a valid BIS Standard Mark. Therefore, people should ascertain the genuineness of ISI Mark on the product before purchase by visiting BIS website www.bis.gov.in or through BIS Care App. General public are, therefore, requested that in case they come across any instance of misuse of ISI mark on any product, the same may be informed to the Head, Jammu & Kashmir Branch Office, Lane No. 04, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu-181133 (J&K).Such complaints can also be made by email at the address jkbo@bis.gov.in or complaints@bis.gov.in or by Telephone No. 01923-222690. The source of such information will be kept confidential.

बीआईएस ने मैसर्स सी.एस फ़ॉइल हाउस, इकाई बस्ती शेख, जालंधर पर छापा मारा

जम्मू। स्टेट समाचार

भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय की टीम ने 06 दिसंबर 2024 को मैसर्स सीएस फ़ॉइल हाउस, बस्ती शेख, जालंधर, पंजाब के परिसर में तलाशी और जब्ती की। तलाशी के दौरान, यह देखा गया कि इकाई में बीआईएस प्रमाणन चिह्न के बिना खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु नंगे पत्री के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ था, जो भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान तैयार एल्यूमीनियम पत्री टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत अपराधियों के खिलाफ बीआईएस जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस कार्रवाई के लिए 2 साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। कई बार यह देखा गया है कि दुकानदार भारी लाभ के लिए उपभोक्ताओं को बिना वैध आईएसआई मार्क के ऑटोमोबाइल व्हील रिम्स, एल्यूमीनियम फ़ॉइल, 3 चरण इंडक्शन मोटर्स जैसे उत्पाद बेचते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न क्यूसीओ के अनुसार, 650 से अधिक उत्पाद वैध बीआईएस मानक चिह्न के बिना इसका निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।